

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/वि०चि०पदा०-66/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मो० तकी इमाम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के दिनांक-23.11.2022 से 05.07.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-878(25) दिनांक-25.04.2025 तथा बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 180 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-23.11.2022 से 21.12.2022 तक	-	कुल-29 (उनतीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-22.12.2022 से 05.07.2023 तक	-	कुल-196 (एक सौ छियानवे) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-66/2024- 832(2) पटना, दिनांक 20/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मो० तकी इमाम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahman 16/4/26
सरकार के उप सचिव।